

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र/180/2012

तारीख रजु 28.12.2012

उनवान

1. रणजीत पुत्र दुर्गा जाति जाट निवासी जाट की सराय तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----सायल

बनाम

1. श्याम सिंह पुत्र कलुआ वगै0 जाति जाट निवासी जाट की सराय तह0 हिण्डौन जिला करौली

-----गैरसायलान 03

उपस्थिति:-

सायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

गैरसायलान की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 06.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर वकालतन एक प्रार्थना वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 960, 1866 के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान सायल वकील को कई बार बहस के अवसर दिये गये। पत्रावली दिनांक 06.12.2019 को बहस की स्टेज पर पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त प्रार्थना पत्र में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 180/2012 श्री रणजीत बनाम श्याम सिंह वगै0 अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

